पत्र संख्या–कारा/भवन–20/2006.......6574

बिहार सरकार

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय,

गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

राजीव वर्मा,
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0),
गृह विभाग (कारा)।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–26/10/2016

विषयः– **राज्य योजना वित्तीय वर्ष–2016–17 अन्तर्गत किशनगंज स्थित मंडल कारा के नये भवन के अवशेष कार्य हेतु ₹55,22,300 (पचपन लाख बाईस हजार तीन सौ रूपये) की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजना वित्तीय वर्ष–2016–17 अन्तर्गत किशनगंज स्थित मंडल कारा के नये भवन के अवशेष कार्य हेतु ₹55,22,300 (पचपन लाख बाईस हजार तीन सौ रूपये) की लागत पर, वित्त विभाग के संकल्प पत्र संख्या–96वि0(2) दिनांक–03.01.2008 की कंडिका 4(क) के आलोक में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् दी जाती है :–

क्र0	कार्य का नाम	राशि
(i)	Construction of Perimeter wall in New District Jail Building, Kishanganj	10,58,613
(ii)	Water supplying work in New District Jail Building, Kishanganj	8,78,301
(iii)	Washing and painting barrack, Kitchen, WC Block and perimeter wall	1,17,340
(iv)	Campus development in New District Jail Building, Kishanganj	14,65,974
(v)	Electric Installation	15,00,000
	योग	50,20,228
	Add 10% for rate escalation	5,02,023
	कुल	55,22,251
	अथवा	55,22,300

(पचपन लाख बाईस हजार तीन सौ रूपये मात्र)

2. उपरोक्त स्वीकृति मांग सं0–3 के अधीन मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष–60–अन्य भवन, लघु शीर्ष– 051– निर्माण, उपशीर्ष–0105–केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं के भवन निर्माण (गृह कारा विभाग) विपत्र कोड–पी0 4059600510105, राज्य योजना स्कीम कोड BUI-5591 विषय शीर्ष 53 01 मुख्य निर्माण कार्य के अधीन दी गई है।

3. योजनाओं के लिए राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होगें तथा राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।

E:\Letter Ind\Swikrityadesh for kishanganj 21.10.2016.doc

2

4. उक्त प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, गृह विभाग द्वारा संचिका संख्या–कारा/भवन–20/2006 के पृ0–25/टि० पर दिनांक–20.10.2016 को अनुमोदन दिया गया है।

5. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–कारा/भवन–20/2006 के पृ0–27/ टि0 पर दिनांक–25.10.2016 को प्राप्त है।

6. योजना को ससमय कार्यान्वित कराने का दायित्व भवन निर्माण विभाग का होगा, जो योजना को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराकर प्रधान सचिव, गृह विभाग एवं महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार को प्रतिवेदित करेंगे।

विश्वासभाजन

26.10.16

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांकः– कारा/भवन–20/2006.....6574 पटना, दिनांक–26/10/2016

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग,/सचिव, भवन निर्माण विभाग/बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/ अधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26.10.16

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांकः– कारा/भवन–20/2006....6574 पटना, दिनांक–26/10/2016

प्रतिलिपिः– संयुक्त निदेशक, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी (अ0र0–2) गृह विभाग (कारा)/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26.10.16

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

E:\Letter Ind\Swikrityadesh for kishanganj 21.10.2016.doc